झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची

पत्रांक :- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांकः- /03/2022

संकल्प

विषयः- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक- 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पत्रांक-फा0सं0 61-I/आर0आई0एफ0डी0/7वाँ सी0पी0सी0/2016-17 दिनांक 01.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III खण्ड-4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं(डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएँ की अनुशंसा की गयी है।

साथ ही, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी संस्थाओं **(डिग्री/डिप्लोमा)** के शिक्षकों अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक-20.05.2020 द्वारा कतिपय मुद्दों एवं विसंगतियों पर स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है, जिसमे तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) के शिक्षकों का संशोधित वेतन मैट्रिक्स तालिका एवं वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन का नियतन पर स्पष्टीकरण दिया गया है। मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर इन विनियमों के आधार पर राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएँ आदि पर अनुशंसा प्राप्त करने हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 24.11.2020 को सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से निम्न अनुशंसा की गयी थी -

(I) AICTE द्वारा दिनांक 01.03.2019 को अधिसूचित विनियम के आलोक में अनुलग्नक-I (Annexure-I) में किये गए प्रावधान के अनुरुप **राजकीय अभियंत्रण संस्थानों** के **(डिग्री हेतु)** शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मियों के लिए सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा **(Annexure - I संलग्न)**।

(II) AICTE द्वारा दिनांक 01.03.2019 को अधिसूचित विनियम के आलोक में अनुलग्नक-II (Annexure-II) में किये गए प्रावधान के अनुरुप **राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों** के **(डिप्लोमा हेतु)** शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मियों के लिए सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने की अनुशंसा **(Annexure - II संलग्न)**।

(III) राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति राजकीय अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को भी सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ दिनांक 01.01.2016 से देय होगा। महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते यथा - HRA, Medical Allowance, Transport Allowance राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरुप ही देय होगा।

(IV) राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति इनके वेतन के निर्धारण के लिए दिनांक 31.12.2015 को पूर्व संशोधित संरचना में विद्यमान इनके वेतन (वेतन बैंड एवं एकेडमिक ग्रेड पे में वेतन) को **2.57** के घटक से गुणा कर निर्धारित किया जाएगा।

(V) राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के AICTE द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त योग्यताएँ, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेने, शोध पत्र जारी करने आदि मानदंड की पूर्ति करने हेतु दिनांक **31.07.2022** निर्धारित की गयी है। राज्य में राजकीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतनमान लागू करने हेतु निर्णय में हुए विलम्ब को देखते हुए समिति द्वारा दिनांक **31.07.2023** तक सभी योग्यताएँ एवं मानदंड पूर्ण करने हेतु समय-सीमा दिए जाने पर सहमति बनी।

(VI) राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना से सम्बंधित वांछित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख "तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली" में किया जाए ।

2. AICTE के विनियमों, स्पष्टीकरण तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक /महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएँ आदि पर सरकार द्वारा सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत की गयी अनुशंसा के आलोक में मंत्रिपरिषद की दिनांक **24.02.2022** की बैठक के **मद संख्या -20** में निम्नलिखित पर स्वीकृति दी गयी है :-

क) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं दिनांक-01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से **Annexure-I** में अंकित प्रावधानों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ख) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक / महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं दिनांक-01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से **Annexure-II** में अंकित प्रावधानों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों तथा 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 1914 दिनांक 01.10.2020 में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(के०के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांक:- **/03/2022**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांक:- **/03/2022**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांक:- **/03/2022**

प्रतिलिपिः- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांक:- **/03/2022**

प्रतिलिपिः- सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली /सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/ /राँची, दिनांक:- **/03/2022**

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, माननीय (मुख्य) मंत्री , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची /कुल सचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- 03/विविध (Pay Revision-Engg.)-05/19 त०शि०/385 /राँची, दिनांक:-28 **/03/2022**

प्रतिलिपिः- निदेशक, बी0 आई0टी0, सिंदरी/ राज्य के सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य / उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/22

सरकार के अपर मुख्य सचिव

(Annexure-I)

विषयः- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पत्रांक-फा0सं0 61-I/आर0आई0एफ0डी0/7वाँ सी0पी0सी0/2016-17 दिनांक-01.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III खण्ड-4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम 2019 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएँ की अनुशंसा की गयी है।

सदस्य राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ दिनांक **01.01.2016** से दिये जाने एवं महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते यथाः-**HRA, Medical Allowance, Transport Allowance,** राज्य सरकार के कर्मियों के भांति देय होगा, की अनुशंसा की गयी है। साथ ही इन कर्मियों का वेतन निर्धारण के लिए दिंनाक **31.12.2015** को पूर्व संशोधित संरचना में विद्यमान इनके वेतन (वेतन बैंड एवं एकेडमिक ग्रेड पे में वेतन) को **2.57** के घटक से गुणा कर निर्धारित किया जाएगा। राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को **AICTE** द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेने, शोधपत्र जारी करने आदि मापदण्ड की पूर्ति करने हेतु दिनांक **31.07.2022** निर्धारित की गयी है। राज्य में राजकीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने हेतु निर्णय में हुए विलंब को देखते हुए समिति द्वारा दिनांक **31.07.2023** तक सभी योग्यताएं एवं मापदण्ड पूर्ण करने हेतु सहमति दी गई है। साथ ही राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना से संबंधित वांछित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली में करने का अनुशंसा की गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम 2019 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक **01.01.2016** के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया हैः-

2.1 राजकीय अभियंत्रण शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की संवर्ग संरचना, प्रवेश वेतन एवं लेवल निम्न तालिका अनुसार है :-

तालिका - I
संवर्ग संरचना

क्र0सं0	पदनाम	प्रवेश वेतन	लेवल
1	सहायक प्रोफेसर	57700	10
2	सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान)	68900	11
3	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)	79800	12
4	एसोसिएट प्रोफेसर	131400	13ए1
5	प्रोफेसर	144200	14
6	प्राचार्य/निदेशक	144200	14

नोट - प्राचार्य/निदेशक का वेतनमान लेवल 14, प्रवेश वेतन -144200 तथा 6750 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन देय होगा।

2.2 <u>नई वेतन संरचना</u>

नई वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स शामिल होगा जिसमें लेवलों की आरोही श्रृंखलाएं होंगी तथा प्रत्येक लेवल में आरोही सैल होंगे। नया वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को एक साधारण चार्ट में सम्मिलित करेगा जैसा **अनुबंध-I** में दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स में दो आयाम शामिल होंगे, लेवलों की क्षैतिज परिधि जो पदानुक्रम में निम्नतम लेवल से प्रारंभ होगी तथा उच्चतम लेवल तक ऊपर बढ़ेगी, जिसमें लेवलों को 10 से 14 तक संख्यांकित किया जाएगा और शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सम्पूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लेवल के भीतर, व्यक्ति के ऊर्ध्व रूप से नीचे जाने पर वेतन में वृद्धि होगी जिसमें नीचे जाने की प्रत्येक प्रोन्नति को एक 'सैल' द्वारा दर्शाया जाएगा। उस लेवल में प्रत्येक सैल 03 प्रतिशत के वार्षिक वित्तीय उन्नयन के चरणों को दर्शाता है। भर्ती/प्रोन्नति पर कर्मचारी किसी विशेष लेवल पर कार्यभार ग्रहण करेगा तथा ऊर्ध्व परिधि के अनुसार लेवल के भीतर प्रगति करेगा। यह संचलन उसकी आगामी प्रोन्नति होने के समय तक वार्षिक वेतन-वृद्धियों पर आधारित होगा। जब कर्मचारी प्रोन्नति प्राप्त करेगा, यह क्षैतिज परिधि के समाप्त होने पर आगामी लेवल में प्रवेश करेगा।

2.3 <u>लेवल और सैल</u>

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को शैक्षणिक वेतन संरचना के लिए भी अपनाया जाएगा, जिसमें वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की अवधारणा के स्थान पर लेवल और सैल शामिल होंगे। ये परिवर्तन केवल तदनुरूपी ग्रेड वेतन की तुलना में शैक्षणिक ग्रेड वेतन के संदर्भ में दो क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण उत्पन्न होंगे। शैक्षणिक वेतन के लिए लेवल को भी समनुरुपी गैर-शैक्षणिक लेवल के अनुसार संख्यांकित किया जाएगा। अतः लेवलों को वर्तमान रु0 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000 के एजीपी के अनुसार क्रमशः 10, 11, 12, 13ए1 और 14 के रूप में संख्याकित किया जाएगा।

2.4 <u>वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन नियतन</u>

वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, किसी कर्मचारी के वेतन के नियतन के लिए, दिनांक **31 दिसंबर 2015** को पूर्व-संशोधित संरचना में विद्यमान, वेतन (वेतन बैंड में वेतन और शैक्षणिक ग्रेड वेतन) को **2.57** के घटक से गुणा किया जाएगा, निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो यह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा।

यदि दो से अधिक अवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित की गई प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए 03 प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा वेतन को वेतन मैट्रिक्स में समरुपी सैल में नियत किया जाएगा।

2.5 <u>एजीपी और आई ओ आर के साथ वेतन बैंड (युक्तिकरण का सूचकांक)</u>

उपर्युक्त के आधार पर, शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ वेतन के विभिन्न लेवल **अनुबंध- I** के अनुसार है।

2.6 <u>प्रवेश वेतन</u>

शैक्षणिक वेतन संरचनाओं तथा लेवलों के लिए प्रवेश वेतन **तालिका- I** के अनुसार है।

2.7 <u>सीधी भत्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन</u>

01 जनवरी, 2016 को और उसके उपरांत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उस लेवल में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सैल पर नियत किया जाएगा, जो उस पद के लिए लागू है जिस पर ऐसा कर्मचारी नियुक्त हुआ है। प्रोन्नति के मामले में, उम्मीदवार को उस लेवल में आगामी उच्च सैल में ले जाते हुए उसके विद्यमान वेतन लेवल में एक परिकल्पित वेतन - वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस सैल में दर्शाये गये वेतन को उस पद, जिस पर उम्मीदवार को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरुप नए स्तर में देखा जाएगा। यदि नये लेवल में उस वेतन कें समान सैल उपलब्ध है, तो वह सैल नया वेतन होगा। अन्यथा उस लेवल पर आगामी उच्च सेल कर्मचारी का नया वेतन होगा। यदि इस तरीके से निकाला गया वेतन नये लेवल में प्रथम सैल से कम है तो उस लेवल के प्रथम सैल पर वेतन नियत किया जाएगा।

2.8 <u>वेतन-वृद्धि की तारीख</u>

(i) वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में **03** प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में **03** प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम **100** में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और कर्मचारी शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि की दो तारीखें होगी। अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई परन्तु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।

(iii) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

3. राजकीय अभियंत्रण शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य सरकारी सेवकों की भाँति महँगाई भत्ता दिनांक 01.01.2016 से तथा HRA, Medical Allowance, Transport Allowance दिनांक 01.04.2018 से देय होगा।

4. राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को AICTE द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेने, शोधपत्र जारी करने आदि मापदण्ड की पूर्ति करने हेतु दिनांक **31.07.2022** निर्धारित की गयी है। राज्य में राजकीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने हेतु निर्णय में हुए विलंब को देखते हुए दिनांक **31.07.2023** तक सभी योग्यताएं एवं मापदण्ड पूर्ण करने हेतु सहमति दी जाती है।

5. राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना से संबंधित वांछित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली में की जाएगी।

6. AICTE के सम्बंधित विनियमों (स्पष्टीकरण सहित) में किये गए प्रावधान से हट कर यदि किसी शिक्षक द्वारा गलत वेतन निर्धारण का अनुचित लाभ लिया गया है, तो ऐसे शिक्षक द्वारा प्राप्त किये गए अतिरिक्त वेतन राशि की कटौती उनके सप्तम वेतनमान के बकाये वेतन राशि से की जायेगी।

7. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा।

अनुबंध - I

डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थानों के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका

सभी आंकड़े रुपयों में हैं					
6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग में वेतन बैंड	15600-39100			37400-67000	
कैडर शीर्षक	सहायक प्रोफेसर			एसोसिएट प्रोफेसर	प्रोफेसर
6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग में ग्रेड वेतन	6000	7000	8000	9000	10000
प्रवेश वेतन	21600	25790	29900	49200	53000
सैल संख्या / स्तर	10	11	12	13 ए1	14
1	57700	68900	79800	131400	144200
2	59400	71000	82200	135300	148500
3	61200	73100	84700	139400	153000
4	63000	75300	87200	143600	157600
5	64900	77600	89800	147900	162300
6	66800	79900	92500	152300	167200
7	68800	82300	95300	156900	172200
8	70900	84800	98200	161600	177400
9	73000	87300	101100	166400	182700
10	75200	89900	104100	171400	188200
11	77500	92600	107200	176500	193800
12	79800	95400	110400	181800	199600
13	82200	98300	113700	187300	205600
14	84700	101200	117100	192900	211800
15	87200	104200	120600	198700	218200
16	89800	107300	124200	204700	
17	92500	110500	127900	210800	
18	95300	113800	131700	217100	
19	98200	117200	135700		
20	101100	120700	139800		
21	104100	124300	144000		
22	107200	128000	148300		
23	110400	131800	152700		
24	113700	135800	157300		
25	117100	139900	162000		
26	120600	144100	166900		
27	124200	148400	171900		
28	127900	152900	177100		
29	131700	157500	182400		
30	135700	162200	187900		
31	139800	167100	193500		
32	144000	172100	199300		
33	148300	177300	205300		
34	152700	182600	211500		
35	157300	188100			

36	162000	193700			
37	166900	199500			
38	171900	205500			
39	177100				
40	182400				

नोटः- किसी भी कॉलम के अंतिम बिन्दु उस लेवल पर प्राप्त किए गए वेतन के अंतिम बिन्दुओं को व्यक्त नहीं करते है। जैसा कि पारंपरिक वेतनमान के पूर्व के प्रावधानों में था कि अंतिम बिन्दु परिकलन के उद्देश्य से उस लेवल के अधिकतम वेतन को नहीं दर्शाता है। किसी भी स्तर के औसत वेतन की गणना के लिए कॉलम के अंतिम बिन्दुओं को वेतनमान के अधिकतम एवं न्यूनतम वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(के0 के0 खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(Annexure-II)

विषयः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/ महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पत्रांक-फा0सं061-I/आर0आई0एफ0डी०/7वाँ सी0पी0सी0/2016-17 दिनांक 01.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III खण्ड-4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम -2019 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक -01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्त और अर्हताएँ की अनुशंसा की गयी है।

सदस्य राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिये जाने एवं महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते यथाः-HRA, Medical Allowance, Transport Allowance, राज्य सरकार के कर्मियों के भाँति देय होगा, की अनुशंसा की गई है। साथ ही इन कर्मियों का वेतन निर्धारण के लिए दिनांक 31.12.2015 को पूर्व संशोधित संरचना में विद्यमान इनके वेतन (वेतन बैंड एवं एकेडमिक ग्रेड पे में वेतन) को 2.57 के घटक से गुणा कर निर्धारित क्रिया जाएगा। राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को AICTE द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेने, शोध पत्र जारी करने आदि मापदण्ड की पूर्ति करने हेतु दिनांक **31.07.2022** निर्धारित की गयी है। राज्य में राजकीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने हेतु निर्णय में हुए विलंब को देखते हुए समिति द्वारा दिनांक **31.07.2023** तक सभी योग्यताएं एवं मापदण्ड पूर्ण करने हेतु सहमति दी गई है। साथ ही राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना से संबंधित वांछित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली में करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम 2019 तथा डिग्री एवं डिप्लोमा संस्थानों के संबंध में कतिपय मुद्दों एवं विसंगतियों पर दिनांक **20.05.2020** के अधिसूचित स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक **01.01.2016** के प्रभाव से निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया हैः-

2.1 राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की संवर्ग संरचना, प्रवेश वेतन एवं लेवल निम्न तालिका अनुसार है :-

तालिका - I

संवर्ग संरचना

क्रम संख्या	पदनाम	प्रवेश वेतन	लेवल
1	व्याख्याता	56100	9ए
2	व्याख्याता	57700	10
3	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	68900	11
4	व्याख्याता (चयन ग्रेड I)	79800	12
5	व्याख्याता (चयन ग्रेड II)	131400	13 ए 1
6	विभागाध्यक्ष (HOD)	131400	13 ए 1
7	प्राचार्य	131400	13 ए 1

नोट - प्राचार्य का वेतनमान लेवल 13 ए1, प्रवेश वेतन -131400 तथा 4500 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन देय होगा |

2.2 <u>नई वेतन संरचना</u>

नई वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक शामिल होगा जिसमें लेवलों की आरोही श्रृंखलाएं होंगी तथा प्रत्येक लेवल में आरोही सैल होंगे। नया वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को एक साधारण चार्ट में सम्मिलित करेगा जैसा अनुबंध-I में दिया गया है । वेतन मैट्रिक्स में दो आयाम शामिल होंगे, लेवलों की क्षैतिज परिधि जो पदानुक्रम में निम्नतम लेवल से प्रारंभ होगी तथा उच्चतम लेवल तक ऊपर बढ़ेगी, जिसमें लेवलों को 9ए से 13ए1 तक संख्यांकित किया जाएगा और शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सम्पूर्ण पहलूओं को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लेवल के भीतर, व्यक्ति के ऊर्ध्व रूप से नीचे जाने पर वेतन में वृद्धि होगी जिसमें नीचे जाने की प्रत्येक प्रोन्नति को एक 'सैल' द्वारा दर्शाया जाएगा। उस लेवल में प्रत्येक सैल 03 प्रतिशत के वार्षिक वित्तीय उन्नयन के चरणों को दर्शाता है । भर्ती/प्रोन्नति पर कर्मचारी किसी विशेष लेवल पर कार्यभार ग्रहण करेगा तथा ऊर्ध्व परिधि के अनुसार लेवल के भीतर प्रगति करेगा। यह संचलन उसकी आगामी प्रोन्नति होने के समय तक वार्षिक वेतन-वृद्धियों पर आधारित होगा। जब कर्मचारी प्रोन्नति प्राप्त करेगा, यह क्षैतिज परिधि के समाप्त होने पर आगामी लेवल में प्रवेश करेगा।

2.3 <u>लेवल और सैल</u>

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को शैक्षणिक वेतन संरचना के लिए भी अपनाया जाएगा, जिसमें वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की अवधारणा के स्थान पर लेवल और सैल शामिल होंगे। ये परिवर्तन केवल तदनुरुपी ग्रेड वेतन की तुलना में शैक्षणिक ग्रेड वेतन के संदर्भ में दो क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण उत्पन्न होंगे। शैक्षणिक वेतन के लिए लेवल को भी समनुरुपी गैर-शैक्षणिक लेवल के अनुसार संख्यांकित किया जाएगा। अतः लेवलों को वर्तमान रु0 5400, 6000, 7000, 8000 और 9000 के एजीपी के अनुसार क्रमशः 9ए, 10, 11, 12 और 13 ए1 के रूप में संख्याकित किया जाएगा।

2.4 <u>वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन नियतन</u>

वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, किसी कर्मचारी के वेतन के नियतन के लिए, दिनांक **31 दिसंबर 2015** को पूर्व-संशोधित संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन और शैक्षणिक ग्रेड वेतन) को **2.57** के घटक से गुणा किया जाएगा, निकटम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा। **(अनुबंध -I देखें)**

वेतन संशोधन के ऐसे मामलों में, जहां संशोधन-पूर्व, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, जैसा भी मामला हो में, सरकारी कर्मचारी का वेतन, दो या अधिक चरणों में (स्टेजों) वेतन आहरित किया जाता है, तो "नए वेतन मैट्रिक्स में उनके वेतन का नियतन लागू सेल में उसी समान स्तर पर किया जाएगा | प्रत्येक दो चरणों के युग्मन के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी संशोधनपूर्व - संरचना में उच्च वेतन आहरित करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या **1-6/2016-IC दिनांक- 7 सितंबर 2016** के अनुसार लागू स्तर में अगले ऊर्ध्वाधर सेल में नियत किया जाएगा।

संशोधित वेतनमान में पदधारक का पदनाम और वेतन नियतन **अनुबंध-I** में दिया गया है। ऐसे पदधारक संकाय सदस्य/ प्राचार्य जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार रु0 10,000/- के एजीपी में हैं, का वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 समनुरुपी उपयुक्त सैल में किया जाएगा।

Dhanbad

2.5 <u>वेतन-वृद्धि की तारीख</u>

(i) वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और कर्मचारी शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि की दो तारीखें होगी। अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई परन्तु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।

(iii) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन- वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

3. राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य सरकारी सेवकों की भाँति महँगाई भत्ता दिनांक 01.01.2016 से तथा -HRA, Medical Allowance, Transport Allowance दिनांक 01.04.2018 से देय होगा।

4. राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को AICTE द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेने शोधपत्र जारी करने आदि मापदण्ड की पूर्ति करने हेतु दिनांक 31.07.2022 निर्धारित की गई है। राज्य में राजकीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतनमान लागू करने हेतु निर्णय में हुए विलंब को देखते हुए दिनांक 31.07.2023 तक सभी योग्यताएं एवं मापदण्ड पूर्ण करने हेतु सहमति दी जाती है।

5. राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना से संबंधित वांछित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली में की जाएगी।

6. AICTE के सम्बंधित विनियमों (स्पष्टीकरण सहित) में किये गए प्रावधान से हट कर यदि किसी शिक्षक द्वारा गलत वेतन निर्धारण का अनुचित लाभ लिया गया है, तो ऐसे शिक्षक द्वारा प्राप्त किये गए अतिरिक्त वेतन राशि की कटौती उनके सप्तम वेतनमान के बकाये वेतन की राशि से की जाएगी।

7. राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

अनुबंध-I

डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका (संशोधित)

वेतन मैट्रिक्स						
सभी आंकड़े रुपयों (रु0) में हैं।						
वेतन बैंड VI केन्द्रीय वेतन आयोग (सी पी सी)		15600-39100				37400-67000
संवर्ग शीर्षक VII केन्द्रीय वेतन आयोग		व्याख्याता	व्याख्याता	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड-I)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड-II)/ विभागाध्यक्ष/प्राचार्य
शैक्षणिक ग्रेड वेतन VI केन्द्रीय वेतन आयोग (सी पी सी)		5400	6000	7000	8000	9000
प्रवेश वेतन		21000	21600	25790	29900	49200
सैल (प्रक्रोष्ट) संख्या	स्तर	9क	10	11	12	13 क 1
1		56100	57700	68900	79800	131400
2		57800	59400	71000	82200	135300
3		59500	61200	73100	84700	139400
4		61300	63000	75300	87200	143600
5		63100	64900	77600	89800	147900
6		65000	66800	79900	92500	152300
7		67000	68800	82300	95300	156900
8		69000	70900	84800	98200	161600
9		71100	73000	87300	101100	166400
10		73200	75200	89900	104100	171400
11		75400	77500	92600	107200	176500
12		77700	79800	95400	110400	181800
13		80000	82200	98300	113700	187300
14		82400	84700	101200	117100	192900
15		84900	87200	104200	120600	198700
16		87400	89800	107300	124200	204700
17		90000	92500	110500	127900	210800
18		92700	95300	113800	131700	217100
19		95500	98200	117200	135700	
20		98400	101100	120700	139800	
21		101400	104100	124300	144000	
22		104400	107200	128000	148300	
23		107500	110400	131800	152700	
24		110700	113700	135800	157300	
25		114000	117100	139900	165000	
26		117400	120600	144100	166900	
27		120900	124200	148400	171900	

28	124500	127900	152900	177100	
29	128200	131700	157500	182400	
30	132000	135700	162200	187900	
31	136000	139800	167100	193500	
32	140100	144000	172100	199300	
33	144300	148300	177300	205300	
34	148600	152700	182600	211500	
35	153100	157300	188100		
36	157700	162000	193700		
37	162400	166900	199500		
38	167300	171900	205500		
39	172300	177100			
40	177500	182400			

नोट: - किसी भी कॉलम के अंतिम बिन्दु उस लेवल पर प्राप्त किए गए वेतन के अंतिम बिन्दुओं को व्यक्त नहीं करते है। जैसा कि पारंपरिक वेतनमान के पूर्व के प्रावधानों में था कि अंतिम बिन्दु परिकलन के उद्देश्य से उस लेवल के अधिकतम वेतन को नहीं दर्शाता है। किसी भी स्तर के औसत वेतन की गणना के लिए कॉलम के अंतिम बिन्दुओं को वेतनमान के अधिकतम एवं न्यूनतम वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(के0 के0 खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।